न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - श्रीमति प्रियंका बिश्नोई आर.ए.एस.

अनवान -

1. बालूराम पुत्र श्री पूरनराम जाति मेघवाल निवासी 11 ए.एस. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....प्रार्थी.....

बनाम

1. शेरा देवी पत्नी पुरनराम जाति मेघवाल निवासी 11 ए.एस. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. निक्कुराम पुत्र श्री पुरनराम जाति मेघवाल निवासी 11 ए.एस. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. रामनारायण पुत्र श्री रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी 11 ए.एस. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

उपस्थिति - 1. श्री शेराराम ओड वकील प्रार्थी
2. गुरमिन्द्र सिंह मोमी वकील अप्रार्थीगण
3. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 86/2019

निर्णय दिनांक - 24/02/2021

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। उपरोक्त वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से संयुक्त खाता में भूमि वाके चक 11 ए.एस. का प.नं. 198/467 मु.नं. 28 का किला नं. 10/2, 11/1, 12 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 का 3.947 है. भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है। जो कि प्रार्थीगण के नाम से अप्रार्थीगण के साथ संयुक्त खताा में दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार होने से विधक विभाजन करवाकर पृथक-पृथक किला वाईज दर्ज करवाने एवं विभाजन हेतु अनवानी वाद लाने का विधिक अधिकारी है। उक्त भूमि संयुक्त खाता में चली आ रही है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के परिवारों का विस्तार हो जाने से बाहमी बंटवारा करते हुए उपरोक्त भूमि का आपसी सहमति से किला वाईज विभाजन किया हुआ है जिसमें बाहमी बंटवारा में प्रार्थी के

लगातार.....2

Priyanka
जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

कब्जा काश्त में मु.नं. 28 का किला नं. 11/1 का 0.228 है., कि.नं. 12 का 0.253 है., कि.नं.13 का 0.253 है., कि.नं. 17 का 0.253 है. कुल 0.987 है. भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में आयी व अप्रार्थी शेरा देवी के कब्जा काश्त में किला नं. 18, 19, 20, 21 का रकबा व निक्कुराम के कब्जा काश्त में किला नं. 22 ता 25 का रकबा व रामनारायण के कब्जा काश्त में 14 ता 16, 10 का रकबा कब्जा काश्त में आया जिस पर बंटवारा अनुसार सभी काबिज हो गये। एवं काश्त कर रहे है। प्रार्थी के कब्जा काश्त में आयी बाहमी बंटवारा अनुसार भूमि पर प्रार्थी सभी अप्रार्थीगण के पूर्ण ज्ञान व उनकी सहमति से काफी अर्सा पूर्व से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। एवं उपरोक्त भूमि को प्रार्थी ने अपना मानते हुए संवारा सुधारा व कृषि योग्य बनाया है इसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं स्थापित की है। प्रार्थी के द्वारा उक्त बाहमी बंटवारा में प्राप्त भूमि में किये गये सुधारों की बदौलत भूमि की किस्म में सुधार हो गया है व उत्पादन बढ जाने से कीमतों में आशातीत वृद्धि हो चुकी है। प्रार्थी उपरोक्त भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने से उक्त भूमि का राजस्व नहरी मामला अदा करने, फसल विक्रय करने, गिरदावरी प्राप्त करने, पानी की बारी लगाने, भूमि सुधार हेतु अनेक योजनाओं में सहायता, ऋण आदि प्राप्त करने में अनके प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिस कारण से प्रार्थी ने अनेक अवसरों पर अप्रार्थीगण से मिलकर उक्त भूमि का विधिक विभाजन कर किला वाईज पृथक-पृथक दर्ज करवाने बाबत कहा जाता रहा जिस पर उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता रहा कि जब कभी गांव में राजस्व कैम्प आदि लगेगा तो ब्यान देकर विधिक विभाजन कर लेगे जिस पर प्रार्थी सद्भाविक विश्वास करता रहा है किन्तु अब प्रार्थी के द्वारा भूमि में किये गये सुधारों से भूमि की कीमतों में आशातीत वृद्धि हो जाने के कारण से अप्रार्थीगण के मन में लालच व बेईमानी आ गयी जिससे वशीभूत होकर अप्रार्थीगण अब प्रार्थी के कब्जा काश्त की सुधरी हुई भूमि पर जबरन, बलपूर्वक विधिक विरूद्ध तरीकों से काबिज होना चाहते है जिसके लिए अप्रार्थीगण ने प्रोपर्टी डीलर को लाकर भूमि दिखाना एवं विक्रय प्रस्ताव करना प्रारम्भ कर दिया जिस पर प्रार्थी ने उन्हे इस बाबत रोका व दिनांक 01/11/2019 को मौतबीरान व्यक्तियों को साथ लेकर पंचायत कर अप्रार्थीगण को कहा कि बिना विधिक विभाजन किये आप भूमि या उसके किसी भाग को अन्य को विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित नहीं करे तो अप्रार्थीगण नहीं माने व ऐलानियां धमकी दी कि वे अपने नाम से दर्ज हिस्सा को अन्य को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन काबिज हो जावेगे अथवा भू-माफिया गिरोह के किसी सदस्य को जबरन काबिज कर प्रार्थी को जबरन, बलपूर्वक महरूम कर देंगे बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है। यदि अप्रार्थीगण अपने विधि विरूद्ध कृत्योग में कामयाब हो जाते है व प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि से जबरन, बलपूर्वक बेदखल कर देते है तो प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं सुधरी हुई अपनी भूमि से महरूम होना पड़ेगाव काश्त आदि में भारी असुविधा होगी व तृतीय पक्षकार के हित सृजित होने से पक्षकारान के मध्य विवाद बढ़ेगा, मुकदमाबाजी बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेगा जबकि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने पर उनके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति तीनों ही

लगातार.....3

Scanned by CamScanner

महत्वपूर्ण बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। आदि का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि चक चक 11 ए.एस. का प.नं. 198/467 मु.नं. 28 का किला नं. 10/2, 11/1, 12 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 का 3.947 है. भूमि या इसके किसी भाग को किसी अन्य को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने से व प्रार्थी के कब्जा काश्त में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से मदाखलत पैदा करने से बाज एवं ममनू रहे व मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपना इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार करने पर कोई एतराज नहीं होना जाहिर किया। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया जिसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी पैरोकार राज की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया बहस उभय पक्ष वकील सुनी गई। निष्कर्ष रूप में यह पाया कि विवादित भूमि वाके चक 11 ए.एस. का प.नं. 198/467 मु.नं. 28 का किला नं. 10/2, 11/1, 12 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 का 3.947 है. भूमि वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी उक्त भूमि सह-खातेदार है। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि चक 11 ए.एस. का प.नं. 198/467 मु.नं. 28 का किला नं. 10/2, 11/1, 12 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 का 3.947 है. भूमि में प्रार्थी के 1/4 हिस्सा पर वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

हुकम या कार्यावाही मय इतिशिंयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए।
23.2.2021 पत्रावली पेश। वकील उभय-पक्ष उप०। अप्रार्थी क्र. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रा०पत्र पेश किया जो प्रार्थी के वकील को नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई। अप्रार्थी क्र. 3 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं। इसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रा०पत्र तरमीम 06R17a 151 CPC पर बहस सुनी गई। प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के पिता का नाम पूर्णराम के स्थान पर पुरसराम लाल (साही) अंकित किये जाने के बदले में अंकित किये जाते हैं। प्रार्थी ... वास्ते बहस हेतु 24/2/2021 को पेश हो।	
24.02.2021 पत्रावली पैश। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा॰ पत्र अंतर्गत धारा 212 राज॰ काश्तकारी कानून, 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से संलग्न। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
Pआiनका उप जिला कलेक्टर श्री विजयनगर	

Scanned by CamScanner